



Neutral Citation No. - 2026:AHC:125797

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या - 19573/2026

शुभम यादव

.....आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....विपक्षी

आवेदक के लिए अधिवक्ता

: शेष नाथ सिंह यादव, तेज बहादुर सिंह यादव

विपक्षी के लिए अधिवक्ता

: शासकीय अधिवक्ता, राहुल यादव, सुनील थेकमा

न्यायालय कक्ष संख्या - 4

माननीय न्यायमूर्ति अरुण कुमार सिंह देशवाल

संदर्भ: आपराधिक विविध छूट आवेदन संख्या 1/2026

1. आवेदन **स्वीकार** किया जाता है और आवेदक को जमानत आवेदन में जमानत प्रस्तुत करते समय जिला विधि सेवा प्राधिकरण, गाजीपुर के समक्ष 1,000/- रुपये का शुल्क जमा करना होगा।

जमानत आवेदन पर आदेश:

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



2. आवेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री तेज बहादुर सिंह यादव, वादी की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री राहुल यादव और राज्य के विद्वान एजीए श्री राकेश कुमार मिश्रा को सुना गया और अभिलेख का अवलोकन किया गया।

3. यह जमानत आवेदन आवेदक को मुकदमा अपराध संख्या 43/2026 अंतर्गत धारा 105, 191(2), 115(2), 352 बीएनएस, पुलिस स्टेशन-जंगीपुर, जिला-गाजीपुर में मुकदमे की सुनवाई के दौरान जमानत पर रिहा करने की प्रार्थना के साथ दायर किया गया है।

4. आवेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि एफआईआर और घायल तथा अन्य गवाहों के बयान में, आवेदक सहित 12 व्यक्तियों के खिलाफ पीडब्ल्यूडी रोड पर मृतक के घर के सामने पाइप बिछाने को लेकर झगड़ा, हाथापाई और मारपीट का सामान्य आरोप लगाया गया है, जिसमें मृतक को ईंट से दो चोटें आईं। बाद में, मृतक की चोटों के कारण मृत्यु हो गई। आगे यह भी तर्क दिया गया है कि यह अचानक हुआ झगड़ा था और किसी भी आवेदक को किसी विशिष्ट हथियार का इस्तेमाल करने का आरोप नहीं लगाया गया है, न ही मृतक या घायल को चोट पहुंचाने के लिए आवेदक के खिलाफ कोई विशिष्ट आरोप लगाया गया है। आगे यह भी तर्क दिया गया है कि घायल को मामूली चोटें आई थीं और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार, मृतक के सिर में दो गंभीर चोटें आई थीं जो घातक प्रकृति की पाई गईं और ये चोटें न तो आवेदक को और न ही किसी अन्य सह-आरोपी को सौंपी गई हैं। आगे यह भी तर्क दिया गया है कि सह-अभियुक्त रामधर यादव को इस न्यायालय की समन्वय पीठ द्वारा आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या 18835/2026 दिनांक 29.05.2026 के आदेश द्वारा पहले ही जमानत पर रिहा किया जा चुका है। इसलिए, आवेदक समानता के आधार पर जमानत पर रिहा होने का हकदार है। यह भी तर्क दिया गया है कि आवेदक ने संलग्न हलफनामे में एक मामले के आपराधिक इतिहास का स्पष्टीकरण दिया है। यह भी तर्क दिया गया है कि वर्तमान मामले में आरोपपत्र दाखिल किया जा चुका है, इसलिए हिरासत में पूछताछ की कोई आवश्यकता नहीं है। आवेदक दिनांक 16.03.2026 से जेल में बंद है। यदि उसे जमानत दी जाती है, तो वह जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा और मुकदमे की कार्यवाही में सहयोग करेगा।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



5. इसके विपरीत, वादी की ओर से विद्वान अधिवक्ता और विद्वान एजीए ने जमानत की प्रार्थना का कड़ा विरोध किया है, लेकिन वे उपरोक्त तथ्यों का खंडन नहीं कर सके।

6. वाद के सभी तथ्यों और परिस्थितियों, पक्षों की ओर से विद्वान अधिवक्ताओं की तर्कों, अपराध की प्रकृति, साक्ष्य, अभियुक्त की संलिप्तता, जेलों में अत्यधिक भीड़ और विचारण न्यायालयों में आपराधिक मामलों के भारी लंबित होने, साथ ही **कपिल वधावन बनाम केंद्रीय जांच ब्यूरो जो 2025 एससीसी ऑनलाईन एससी 3038** में रिपोर्ट किया गया, में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय और **माया तिवारी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य जो 2024 एससीसी ऑनलाईन एएलएल 6765** में रिपोर्ट किया गया, मामले में इस न्यायालय के जमानत देने संबंधी दिशानिर्देशों को ध्यान में रखते हुए, और मामले गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, मेरा मत है कि आवेदक जमानत पर रिहा होने का हकदार है। तदनुसार, यह आवेदन **स्वीकार** किया जाता है।

7. उपर्युक्त अपराध में संलिप्त आवेदक **शुभम यादव** को संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुरूप एक व्यक्तिगत मुचलका और दो जमानती प्रस्तुत करने पर निम्नलिखित शर्तों के साथ जमानत पर रिहा किया जाए:-

i. आवेदक मामले के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी भी प्रकार का प्रलोभन, धमकी या वादा नहीं करेगा जिससे उसे न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष ऐसे तथ्यों का खुलासा करने से रोका जा सके या साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ की जा सके।

ii. आवेदक बिना किसी स्थगन की मांग किए विचरण/विवेचना में ईमानदारी से सहयोग करेगा।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



iii. आवेदक जमानत पर रिहा होने के बाद किसी भी आपराधिक गतिविधि में शामिल नहीं होगा या कोई अपराध नहीं करेगा।

iv. आवेदक अपने द्वारा निष्पादित बंधपत्र की शर्तों के अनुसार उपस्थित होगा।

8. उपरोक्त किसी भी शर्त का उल्लंघन जमानत रद्द करने का आधार होगा।

9. बंधपत्र स्वीकार किए जाने से पहले संबंधित न्यायालय द्वारा आवेदक और जमानतदारों की पहचान, स्थिति और निवास प्रमाण का सत्यापन किया जाएगा।

10. आवेदक और जमानतदारों के मोबाइल नंबर और आधार कार्ड का सत्यापन संबंधित न्यायालय द्वारा किया जाएगा।

11. यह भी निर्देश दिया जाता है कि आवेदक की शीघ्र रिहाई सुनिश्चित करने के लिए विचारण न्यायालय जमानत आदेश प्रबंधन प्रणाली (बीओएमएस) के माध्यम से संबंधित जेल को रिहाई आदेश भेजेगा।

12. कार्यालय को निर्देश दिया जाता है कि वह संदर्भ: स्वतः संज्ञान रिट याचिका (आपराधिक) संख्या 4/2021 में जमानत देने की नीति रणनीति, जो (2024) 10 एससीसी 685 में रिपोर्ट किया गया है, के मामले में सर्वोच्च न्यायालय के 31.01.2023 के आदेश और रिट याचिका (आपराधिक) संख्या 169/2025 में पिला पहन @ पीला पाहन और अन्य बनाम झारखंड राज्य और अन्य, के मामले में सर्वोच्च न्यायालय के 29.05.2026 के आदेश, का पालन करते हुए, इस आदेश की एक प्रति संबंधित जेल अधीक्षक के ज़रिए 24 घंटे के भीतर ईमेल या ई-जेल पोर्टल से आवेदक को और ई-मोड के माध्यम से विचारण न्यायालय को भेजे।

5 जून, 2026,

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



(माननीय न्यायमूर्ति अरुण कुमार सिंह देशवाल)

Translated Judgment. Not for Legal Use.

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा ।